—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 19/2023

उनवान

1. भवरलाल पुत्र लाला
2. मदनलाल पुत्र लाला **(तर्क)** जाति रेगर निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद, अजमेर।

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री मंगलाराम चौधरी

बनाम

1. करणी सिंह पुत्र विजय सिंह जाति राजपूत निवास ग्राम राजगढ, नसीराबाद, हाल निवासी 739 श्री फोर्ट क्लीतव सिनेमा के पास बी.के. कोल नगर, अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
2 जरियें राज. पैराकार

3. बंशीलाल पुत्र लाला जाति रेगर निवासी ग्राम राजगढ, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :— अनुपस्थित

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

—: आदेश :— दिनांक :— 6.12.24

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राजगढ में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 की पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि स्थित है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख.न.	रकबा	वंर्किग ख.न.	रकबा	हाल ख.न.	रकबा
500	0—3—0	482	0—3—0	911	0.02
448	1—5—10	434	1—5—10	909	0.20
447	0—4—0	433	0—4—0	908	0.03

उक्त आराजी के मूल खातेदार लाला पुत्र दयाल जाति रेगर थे जिनकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी जरियें विरासत प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 को प्राप्त हुयी है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 उक्त आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजी का कुल रकबा 1—12—10 है। किन्तु हाल जमाबंदी बनाते समय उक्त आराजी का रकबा 0—1—05 अर्थात 1 बिस्वा 5 बिस्वांसी कम कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा का कुल रकबा 0.25 है. कर दिया जबकि 0.26 है. होना था। उक्त रकबा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 912 व 913 के रकबे में बिना किसी आधार के गैर कानूनी रूप से अंकित कर दिया, जिसें हटाया जा कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 को खातेदार दर्ज किया जावे। हाल राजस्व मानचित्र में प्रार्थीगण के हाल खसरा नम्बर 909 व 908 के नक्शा को गलत व छोटा कर दिया गया है। पूर्व में भी प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 24/2020 बउनवान करणी सिंह बनाम बंशीलाल पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:39 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खसरा नम्बर 912 व 913 के राजस्व मानचित्र को छोटा कर प्रार्थीगण के खेत में कमलाने के लिये कथन किया गया। उक्त वाद में प्रार्थीगण को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये दिनांक 16.10.22 को एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन है। हाल राजस्व मानचित्र के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण अप्रार्थी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहा है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि चौसाला खसरा नम्बर 500, 448, 447 के वंर्किग खसरा नम्बर 482, 434, 433 के हाल खसरा नम्बर 911, 909 व 908 का रकबा पूर्ण सही है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 का खसरा नम्बर 913 व 912 भी सही है। प्रार्थीगण व जवाबकर्ता के खेत आस–पास में ही स्थित होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के खेत की मेड तोडकर दखल कारित की जाती है। तथा अप्रार्थी को परेशान किया जाता है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा माननीय न्यायालय में प्रार्तिना पत्र संख्या 67/2022 अन्तर्गत धारा 128 भू रा. अधि. पेश किया जिसमे दिनांक 21.08.23 को पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिनांक 07.06.24 को आदेश की पालना की गयी। उक्त प्रार्थना पत्र में पारित आदेश कर द्वेषतावश प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ने हाजा न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 24/2020 बउनवान करणी सिंह बनाम बंशीलाल पेश किया जिसमें दिनांक 16.10.22 को नक्शा दुरूस्ती के आदेश पारित किये गये। हाल राजस्व मानचित्र में कोई त्रुटि नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।
अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्व विधिवत एकपक्षय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने आर.बी.जे. 2019 पेज 129, आर.एल.आर. 1988 पेज 8771, आर.आर.डी. 1970 पेज 135 व आर.आर.डी. 1970 पेज 140 की नजीर पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत नजीरों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

हाल खसरा नम्बर 908, 909 व 911 प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी में है। खसरा नम्बर 912 व 913 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में है। उक्त खसरा नम्बर आस–पास ही स्थित है। प्रार्थीगण का कथन है कि उनकी खातेदार आराजी का रकबा कम करके अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में मिला दिया है तथा प्रार्थीगण के खेत का राजस्व मानचित्र छोटा कर दिया है। जिस कारण अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व पूर्व में राजस्व मानचित्र व पत्थरगढी का प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा आदेश व निर्णय किये जा चुके है। प्रार्थीगण द्वारा हाजा न्यायालय द्वारा पारित वाद संख्या 24/2020 बउनवान करणी सिंह बनाम बंशीलाल की अपील अपीलीय न्यायालय में की है जो विचाराधीन हैं अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी बाबत राजस्व मानचित्र के आदेश पारित किये जा चुके है। साथ ही हाजा [illegible] की ओश की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी की पत्थरगढी भी की [illegible] चुकी है। पत्थरगढी के मौका पर्चा में अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि राजस्व मानचित्र से अधिक [illegible] कोई उल्लेख नही है। उक्त समस्त प्रकरणों में प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। [illegible] न्यायालय में अपील भी विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:39 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील के निस्तारण के बिना ही प्रश्नगत प्रकरण पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में मुख्य अनुतोष राजस्व मानचित्र का चाहा है जिसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थितियॉ दृष्टिगोचर नही होती है, जिससे अप्रार्थी को पाबंद किया जावे। विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :— विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के पृथक–पृथक खातेदार है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का निस्तारण शेष है। विषम परिस्थितियों के अतिरिक्त रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य व सुनवाई से ही तय किये जायेगे। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :— न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

आदेश :— अतः ग्राम राजगढ की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:04:39 IST
Reason: SelfAttested